न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 576/2018

प्रार्थीः– बनाम **अप्रार्थीगणः–**

1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

1. श्री सायर कंवर पत्नि श्री छोगसिंह जाति राजपूत निवासी एन्दलावास

उपस्थितिः–

1. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री जगदीश प्रजापत , विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक 19-12-2019

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सायर कंवर पत्नि श्री छोगसिंह जाति राजपूत निवासी एन्दलावास द्वारा ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम मे से 3.06 बीघा भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम मे से 3.06 बीघा किस्म चाही दोयम खातेदार सायर कंवर पत्नि छोगसिंह जाति राजपूत निवासी एन्दलावास ग्राम एन्दलावास में कृषि भूमि पर बगैराह सांपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर आवासीय कृषि भूखण्ड काटकर पक्का मकान बनाकर भूमि मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है तथा वर्तमान में अकृपि उपयोग होने से ओर स्थिति बिगड सकती है। अतः इस भूमि मे किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नही करें। इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित पावन्द करना आवश्यक है।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास, तहसील पाली के खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम में से भूमि रकबा 3.06 बीघा भूमि कृषि आयी हुई स्थित है। उक्त भूमि पर आज दिन तक कब्जा व काश्त अप्रार्थीया का ही है तथा कुल भूमि खसरा नम्बर 833 का 7.08 बीघा भूमि में से 3.06 बीघा भूमि कृषि से अकृषि मे करने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि के मात्र एक कोणे में छायानुमा भवन बनाने से सम्पूर्ण कृषि भूमि को अकृषि के रूप मे नही लिया जा सकता है। अप्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण वर्तमान किया जा रहा है तथा भूमि की किस्म भी यथास्थिति अनुसार ही है। अप्रार्थीया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृषि भूमि की किस्म यथास्थिति अनुसार ही है। अप्रार्थीया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृषि भूमि की परिवर्तित करने का प्रयास नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 सायर कंवर द्वारा अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में छायानुमा शेड बनाना धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है। मात्र वृक्षारोपण करना तथा अपनी स्वयं के बचाव के

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

लिए किसी प्रकार का शेडनुमा निर्माण कार्य करना धारा 177 की श्रेणी मे नही आता है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

5. तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार) ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र मे अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सायर कंवर पत्नि श्री छोगसिंह जाति राजपूत निवासी एन्दलावास द्वारा ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम मे से 3.06 बीघा भूमि का कृर्षि से अकृषि उपयोग परिवर्तन करने पर धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उक्त भूमि को सरकारी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम मे से 3.06 बीघा किस्म चाही दोयम खातेदार सायर कंवर पत्नि छोगसिंह जाति राजपूत निवासी एन्दलावास ग्राम गुडा द्वितीय के ग्राम एन्दलावास में कृषि भूमि पर वगैराह संपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर आवासीय कृषि भूखण्ड काटकर पक्का मकान बनाकर भूमि मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड सकती है। अतः इस भूमि में किसी भी प्रकार कोई निर्माण इत्यादि नही करें। इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर पाबन्द करना आवश्यक है।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास, तहसील पाली के खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम में से भूमि रकबा 3.06 बीघा भूमि कृषि भुमि आयी हुई स्थित है। उक्त भूमि पर आज दिन तक कब्जा व काश्त अप्रार्थीया का ही है तथा कुल भूमि खसरा नम्बर 833 का 7.08 बीघा भूमि में से 3.06 बीघा भूमि कृषि से अकृषि मे उपयोग करने का कथन गलत है। क्योंकि अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि के मात्र एक कोणे में छायानुमा भवन बनाने से सम्पूर्ण कृषि भूमि को अकृषि के रूप मे नही लिया जा सकता है। अप्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण वर्तमान में नहीं किया जा रहा है तथा भूमि की किस्म भी यथास्थिति अनुसार ही है। अप्रार्थीया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृषि भूमि कों परिवर्तित करने का प्रयास नही किया गया है। अप्रार्थी सायर कंवर द्वारा अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में छायानुमा शेड बनाना धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है। मात्र वृक्षारोपण करना तथा अपनी स्वयं के बचाव के लिए किसी प्रकार का शेडनुमा निर्माण कार्य करना धारा 177 की श्रेणी में नही आता है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावें।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास, तहसील पाली के खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम में से भूमि रकबा 3.06 बीघा भूमि कृषि आयी हुई स्थित है। तथा सरकारी पैरोकार तहसीलदार पाली ने बताया कि ग्राम गुडा एन्दला द्वितीय के ग्राम एन्दलावास खसरा नम्बर 833 रकबा 7.08 बीघा किस्म चाही दोयम मे से 3.06 बीघा किस्म चाही दोयम खातेदार सायर कंवर पत्नि छोगसिंह जाति राजपूत निवासी एन्दलावास में कृषि भूमि पर वगैराह संपरिवर्तन के स्वरूप बदल किया जाकर मौके पर आवासीय कृषि भूखण्ड काटकर पक्का मकान बनाकर भूमि मौके पर अलग से स्थिति उत्पन्न कर दी गई है तथा वर्तमान में अकृषि उपयोग होने से और स्थिति बिगड़ सकती है। इस कारण उक्त कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी किसी

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

प्रकार का अकृषि कार्य अप्रार्थी न तो स्वंय करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर चाकर एजेंट इत्यादि के माध्यम से करावें तथा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति को अप्रार्थी बनाये रखें।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner